महत्वपूर्ण एवं खास

आपसी विवाद में तलवारनुमा हथियार से युवक पर हमला, अपराध दर्ज

रायगढ़। आज दिनांक 19.12.2021 को सधरमजयगढ राइनो को ग्राम प्रेमनगर में लडाई झगड़ा पर आहत के लिए मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट मिला। इवेंट पर डॉयल 112 की टीम प्रेमनगर पहुंची। आहत सतीश समझदार उर्फ बबलू पिता नवीन समझदार उम्र 31 वर्ष को प्रेमनगर का त्रिनाथ उर्फ सोनू यादव लोहे का दाव (तलवारनुमा हथियार) से जान से मारने का प्रयास किया था जिससे आहत के हाथ, पांव में गंभीर चोटें आयी थी। आहत द्वारा थाना धरमजयगढ़ में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता बताया कि दिनांक 19/12/2021 को दोपहर करीब 12:00 बजे सोनू यादव घर आकर दरवाजा के पास पुराने झगड़ा विवाद को लेकर गंदी गंदी गाली करते हुये लोहे के दाव से हत्या करने के नियत से गर्दन के पास मारा, बचाव करने पर हांथ में चोट आया। उसके बाद वार करने पर पैर, गर्दन में चोट आया है। रिपोर्ट पर आरोपी पर धारा 307, 506 ढ्ढक्कष्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिये थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ प्रेमनगर में दबिश दिया गया, आरोपी फरार है।

नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में 20 दिसम्बर को मतदान के लिए अवकाश की घोषणा

रायगढ़ । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकाय आम/उप निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को अवकाश घोषित किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की है। जिसके अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों में 20 दिसम्बर 2021 दिन-सोमवार को मतदान संपन्न कराने अवकाश घोषित किया गया है। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ नगर पालिका परिषद के सभी 15 वार्ड क्षेत्र में आम चुनाव एवं रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 तथा 25 वार्ड क्षेत्र में उप चुनाव हो रहे है। अतः उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में 20 दिसम्बर 2021 दिन-सोमवार को मतदान करने के लिए अवकाश का दिन होगा। इस दिन उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानों/ कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में निवासरत मतदाता यदि निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हो तो भी उसे मतदान के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख अनुमति प्रदान करेंगे।

मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करें

रायगढ़ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ जिले में नगर पालिका आम/उप निर्वाचन 2021 के तहत नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 तथा नगर पालिका परिषद सारंगढ़ में 20 दिसंबर को हो रहे मतदान एवं 23 दिसंबर हो रहे मतगणना के लिए सभी मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए है। इसके तहत उन्होंने मतदान दलों/ मतगणना दलों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों को आवश्यक रूप से मॉस्क उपलब्ध कराने को कहा है तथा कहा है कि मतदान केन्द्र पर मतदाता एवं मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी एवं उसके अभिकर्ता अपना स्वयं का मॉस्क उपयोग करेंगे।

ट्रक समेत 14 लाख की जी.आई. वायर लूट करने वाले शातिर गैंग के चार आरोपी गिरफ्तार

» गैंग के सदस्य ऑनलाइन ट्रांसपोर्टिंग एप्स वाहक के जरिये बुकिंग लेकर प्लानिंग से करते थे लूट

» लूटी गई ट्रक के साथ आरोपियों से 3.35 लाख रूपये नकद व मोबाइल बरामद

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा, एडिशनल एसपी लखन पटले, डीएसपी राकेश भोई के कुशल दिशा निर्देशन पर थाना पुसौर, सरिया, साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा पुसौर थानाक्षेत्र अन्तर्गत घटित एक बड़े लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी दिगर प्रांत जाकर किया गया, उल्लेखनीय है कि आरोपीगण ऑनलाइन ट्रांसपोर्टिंग एप्स वाहक के जरिये बुकिंग लेकर पूरी प्लानिंग के साथ लूट करते थे। ट्रक लावारिस हालत में बरामदगी की गई है, आरोपियों द्वारा लूटे गये जी.आई. वायर को बेचने बाद प्राप्त 3.35 लाख रूपये नकद, मोबाइल की बरामदगी की गई है, आगे कार्रवाई जारी है।

घटना के संबंध में रायगढ़ एवेन्यु कोलोनी कोतरारोड़ में रहने वाले समीर कुमार अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल (उम्र 39 वर्ष) बताये कि चिराईपानी लाखा पूजीपथरा में इनकी जी.आई. वायर प्लांट है। दिनाक 11.12.2021 को महानंदा नगर, नादगांव (महाराष्ट्र) के के. के. इंटर प्राईजेज नादगांव से 25.200 मैट्रिक टन का आर्डर मोबाईल फोन से मिला था जिसकी डिलवरी के लिए इन्होंने मोबाईल एप्लीकेशन वाहक के माध्यम से नादगांव महाराष्ट्र के लिए गाडी बुक किए। तब एक मोबाइल नंबर से कॉल आया वह अपना नाम सुधीर सिंह बताया और गाडी बुकिंग के संबंध में बात किया, बोला कि ÷गाडी रेडी है, सारंगढ़ में खड़ी है गाड़ी भेज दे रहा हूँ÷। उसी रात करीब 11:00 बजे दूसरे मोबाईल नंबर से फोन आया वह बोला कि ÷आपने गाडी बुक की है उसका में ड्रायवर सुधीर बोल रहा हूँ, रात हो गई हैं माल कल सुबह लोड करेंगे÷ कहकर वहीं बाहर सो रहा हू। दूसरे दिनांक 12.12.2021 के सुबह ट्रक क्रमांक जेएच 02-डब्ल्यू-0521 में ट्रक ड्रायवर सुधीर से उसके मालिक नाम पता सबंधी समस्त कागजात प्राप्त कर ट्रक में माल लोड कर डिलवरी स्थान के लिए भेजा, तब ड्रायवर एडवांस रूपये मांगा तो उसे बताया कि प्लांट का एक कर्मचारी रिंकू ढाबा में मिलेगा और तुम्हारे साथ माल डिलेवरी करने जायेगा। उसी रात करीब 08:00 बजे रिंकू ढाबा में कृष्णा जायसवाल, ट्रक ड्रायवर के साथ डिलवरी स्थान तक जाने के लिए मिला। रात करीब करीब 12:53 बजे कृष्णा जायसवाल द्वारा भेजा गया व्हाट्सएप लाइव लोकेशन गुडेली के पास का मिला था। दूसरे दिन सुबह पता चला कि कर्मचारी कृष्णा जायसवाल को दिनांक 12-13/12/2021 की रात्रि ट्रक का ड्रायवर और उसके साथियों द्वारा पुसौर थानाक्षेत्र अन्तर्गत रौनक ढाबा के पास मारपीट कर ट्रक को लूटकर भाग गये थे। प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी ट्रक ड्रायवर और उसके साथियों पर लूट का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

घटना दिनांक 13.12.2021 की रात्रि आरोपीगण द्वारा कृष्णा जायसवाल के हाथ पांव बांध कर गुडेली के पास छोड़ दिये थे। कृष्णा जायसवाल रात में ही थाना सरिया पहुंचकर थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल को घटना की जानकारी दिया। थाना प्रभारी सरिया द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर तत्काल साइबर सेल के माध्यम से आरोपियों का पता लगाये। आरोपीगण बड़े शातिर थे इनके द्वारा फर्जी/दूसरे नाम से जारी किये गये सिम नम्बर का उपयोग किया गया था साथ ही नये-नये सिम का लगातार उपयोग किया जा रहा था। सायबर एक्सपर्ट द्वारा आरोपियों का पता लगाया गया जिसके बाद थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल के नेतृत्व में सरिया, पुसौर की संयुक्त टीम एसपी रायगढ़ के निर्देशन पर दिगर प्रांत झारखंड, बिहार रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा रांची के आसपास विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर लूट की प्लांनिग रख्ने वाले ट्रक ड्रायवर सहित 04 आरोपियों को रायगढ़ लाया गया। लूटी गई ट्रक को पुलिस टीम द्वारा रांची के पास लावारिश हालत में जप्ती की गई तथा आरोपियों से जीआई वायर को बेचकर प्राप्त हुये शेष नकदी रकम 3.35 लाख रूपये की बरामदगी की गई है। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग का मास्टर मांइड प्रवीण तथा उसका साथी ऑनलाइन ट्रांसपोर्टिंग एप्स वाहक के जरिये बुकिंग लेकर प्लानिंग के साथ अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट करते थे। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के रांची के पास कई ठिकानों में दबिश देकर 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके अन्य 03 साथी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गया जेल

» अपराध दर्ज के चंद घंटे बाद घरघोड़ा पुलिस गिरफ्तार कर भेजा गया था रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 18.12.2021 को घरघोड़ा थानाक्षेत्र की किशोर बालिका अपने परिजनों के साथ थाना घरघोड़ा आयी, बालिका के परिजन थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह को बताये कि पिछले 5 माह से ग्राम भालूमार का रोशन वैष्णव पिता स्व. सोनसाय वैष्णव (23 साल) द्वारा शादी का प्रलोभन देकर लुक छिप कर बालिका का शारीरिक शोषण (दुष्कर्म) कर रहा था। बालिका के बताने पर जानकारी हुई। तब रोशन वैष्णव से पूछताछ किए, वह दूसरी जाति समाज की हो कहकर शादी से इंकार कर दिया है। महिला विवेचक द्वारा बालिका के लिखित आवेदन पर पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीआई अमित सिंह आरोपी के गिरफ्तारी के लिये दबिश दिये और उसे गिरफ्तार कर मेडिकल आदि कार्रवाई कर मात्र तीन घंटों के भीतर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जहां से उसे जेल दाखिल किया गया है।

ठगी के मामले में शंकर रजक फिर से जेल दाखिल

» अपील में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का निर्णय यथावत रखा गया

कोरबा । एसईसीएल में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के मामले में जेल दाखिल और जमानत मुचलका पर बाहर आए शंकर लाल रजक को फिर से जेल दाखिल करा दिया गया है। निचली अदालत द्वारा शंकर रजक को प्राप्त 3.3 साल के सश्रम कारावास को अपील निरस्त कर यथावत रखा गया है। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हुंकरा निवासी शंकर लाल रजक के विरुद्ध कबीरधाम जिले के कवर्धा थाना में 16 मार्च 2018 को धनेश कौशिक की रिपोर्ट पर धारा 420 के तहत एफ्आईआर दर्ज हुई थी। धनेश को एसईसीएल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर शंकर रजक ने 2 लाख 25000 रुपये लिए थे। शेष 75000 की रकम दो किस्तों में धनेश कौशिक ने लक्ष्मी महंत के खाता में जमा कराया था। कई महीने जेल में रहने के बाद शंकर रजक जमानत .मुचलका पर बाहर आया। उक्त प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कवर्धा नरेंद्र कुमार के द्वारा शंकर लाल रजक को 27 लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 27 पीड़ितों के लिए 200-200 रुपये के मान से 5400 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।

सीजेएम नरेंद्र कुमार द्वारा 18 जनवरी 2020 को सुनाए गए इस फैसले के विरुद्ध शंकर रजक ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज शर्मा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया। शंकर रजक के द्वारा इस पूरे मामले को सिविल विवाद होना बताते हुए गलत रूप से आपराधिक प्रकरण बताकर पेश करना बताया जाकर आग्रह करते हुए दण्डादेश को अपास्त करने की अपील की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज शर्मा के द्वारा इस अपील पर सुनवाई करते हुए 9 दिसंबर 2021 को दिए गए अपने फैसले में पूर्व के निर्णय को सही ठहराते हुए शंकर लाल रजक का जमानत मुचलका निरस्त कर उसके आवेदन को अपास्त किया गया। इसके साथ ही शंकर रजक को जेल भेजने के निर्देश दिए गए। उसे तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5400 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि भुगतान न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जाएगा।

रायगढ़ व सारंगढ़ में मतदान दलों को मतदान सामग्री प्रदाय

» सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान

रायगढ़ । रायगढ़ जिले में नगरीय निर्वाचन निकाय निर्वाचन-2021 के तहत नगर पालिक निगम रायगढ़ व नगर पालिका परिषद सारंगढ़ में 20 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए आज मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पाण्डेय ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2021 के तहत जिले के नगर पालिका परिषद सारंगढ़ व नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड 9 तथा 25 में कुल 26 हजार 174 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 31 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। नगर पालिका परिषद सारंगढ़ में 24 तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ में 7 मतदान केन्द्र बनाए गए है। जिसमें नगर पालिका परिषद सारंगढ़ में 19 हजार 789 एवं नगर पालिक निगम रायगढ़ में 6 हजार 385 मतदाता है। मतदान का समय सुबह 8.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक है। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 5 सेक्टर ऑफिसर तैनात किए गए है। जिसमें सारंगढ़ में 3 सेक्टर ऑफिसर अभिषेक बनर्जी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगढ़, आदित्य ग्रोवर अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग सारंगढ़, कृष्ण कुमार साहू परियोजना अधिकारी आईसीडीएस सारंगढ़ महिला एवं बाल विकास तथा रायगढ़ में 3 सेक्टर अधिकारी अविनाश श्रीवास सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग तथा पी.आर.फुलेकर कार्यपालन अभियंता जल संसाधन केलो परियोजना रायगढ़ शामिल है।

आम निर्वाचन तथा उप निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट)कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईआर-ईआर द्वारा ऑनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची शामिल है।

एनडीपीएस एक्ट के मामले में दो आरोपियों को 15-15 साल की सश्रम कारावास

रायगढ़। दिनांक 17-12-2021 को विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायगढ़ विवेक कुमार तिवारी द्वारा थाना सरिया के अपराध क्रमांक 83/2018 के मामले में सुनवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के आरोपी (1) शुभम शर्मा पिता रविंद्र शर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कोस्टा(थाना समान जिला रीवा (मध्यप्रदेश) (2) आशीष मिश्रा पिता सरोज मिश्रा उम्र 21 वर्ष ग्राम चिल्लागांव जिला थाना नईगढी जिला रीवा (मध्यप्रदेश) को अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों पर गांजा तस्करी के लगाये गये आरोप को सिद्ध पाते हुये दोनों आरोपियों को 15-15 साल की सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

सरिया पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 01.04.2018 को थानाक्षेत्र के ग्राम कंचनपुर भालूमुडा के पास नाकेबंदी कर इंडिगो कार एमपी 17 सीए 1678 गांजा लाते हुए आरोपियों पकड़ा गया था। कार से मादक पदार्थ गांजे का 1-1 किलो के पैकेट बने हुए 80 पैकेट कुल वजन 80 किलो गांजा बरामद किया गया था कार से गांजे की तस्करी कर रहे आरोपीगण सीमावर्ती राज्य ओडिशा से गांजा ला रहे थे। थाना सरिया में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जनकराम साहू द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई थी। माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा पैरवी की गई थी।

कोल इंडिया पेंशन नीति में विरोधाभास को लेकर प्रदर्शन

कोरबा । कोल इंडिया के पेंशनर्स एसोसिएशन ने पेंशन नीति से संबंधित विरोधाभास को लेकर एसईसीएल के क्षेत्रीय मुख्यालय में प्रदर्शन करने के साथ आवाज बुलंद की। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अनेक पेंशनर्स को को लंबे समय से महीने में केवल 49 रूपए की राशि प्राप्त हो रही है। पेंशनर्स संघ ने इस मामले को लेकर कोल इंडिया हेड क्वार्टर के साथ.साथ नई दिल्ली में भी प्रदर्शन करने की बात कही है।

पेंशनर एसोसियेशन के संरक्षक बलदेव सिंह ने आपत्ति जतायी है कि सरकार के नियमानुसार हर तीन वर्ष में पेंशन राशि के मामले को देखना है और इसका स्लैब परिवर्तित करने के साथ पुनरीक्षण भी करना है। 21 साल की समयावधि में अब तक पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया गया। संरक्षक ने बताया कि कोल इंडिया में पेंशन नीति के कारण डेढ़ से दो लाख कर्मचारियों को काफी नुकसान हो रहा है। 14-15 साल से विसंगतियों के बारे में एसोसियेशन ने आवाज उठायी है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध सिंह ने बताया कि पेंशन की विसंगतियों के कारण वर्तमान में जो वर्ग परेशान हो रहा है, वहीं समस्याएं आने वाले दिनों में दूसरे कर्मचारियों को परेशान कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे कर्मचारी भी हमारे इस प्रदर्शन में शामिल हो। कोल इंडिया पेंशनर्स एसोसियेशन का कहना है कि उनकी मांगे व्यवहारिक होने के साथ जायज है। इसलिए इस बारे में कोल इंडिया प्रबंधन के साथ-साथ भारत सरकार को नीतिगत रूप से काम करना चाहिए। एसोसियेशन ने तय किया है कि स्थानीय स्तर से बात नहीं बनी तो दिल्ली पहुंचकर आवाज बुलंद की जाएगी।

डीजल चोरी का कुख्यात आरोपी निगरानी बदमाश हीरा पटेल गिरफ्तार

» आरोपी के विरुद्ध चोरी, लूट, डकैती, आगजनी इत्यादि मामले दर्ज है

कोरबा । गत17 दिसंबर 2021 को प्रार्थी अमरेश कुमार सिंह एसईसीएल कुसमुण्डा परियोजना ने थाना में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात्रि 02.00 बजे वह अपने साथी कन्हैयाराम के साथ एसईसीएल कुसमुण्डा खदान में गस्त लगा रहा था। 240 डम्फर पार्किंग के पास पहुंचे थे, तभी एक पुरानी सुमो गाडी वहां से इन्हें आता देख बहुत तेजी से गाड़ी को भगाकर निकल गया जिसका प्रार्थी व उसके साथी अपने गाड़ी से पीछा करने लगे। जब उनकी गाड़ी इनकी गाड़ी के बगल से गुजरी तो देखा कि उसमें हीरा पटेल अपने अन्य साथियों के साथ बैठा था व उनकी गाड़ी में बहुत सारा डिब्बा, जरीकेन भरा हुआ था। प्रार्थी की गाड़ी डम्फर गाड़ी के पीछे आ जाने से आरोपियों की गाड़ी को पकड़ नही पाये। प्रार्थी को संदेह है कि आरोपी हीरा पटेल अपने साथियों के साथ पुनः सक्रिय होकर लगभग 10-15 डिब्बा डीजल चोरी कर गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कुसमुण्डा में अपराध कमांक 586/2021 धारा 379, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर त्वरित कार्यवाही करते हुये डीजल चोरी के कुख्यात आरोपी हीरा पटेल की सरगर्मी के साथ पता तलाश हेतु कुसमुण्डा पुलिस टीम गठित किया गया। पतासाजी दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि आरोपी हीरा पटेल कोरबा नया बस स्टैण्ड टीपी नगर में छिपा हुआ है, जिस पर कुसमुण्डा पुलिस टीम कोरबा के लिये रवाना हुआ तथा नया बस स्टैण्ड टीपी नगर जाकर घेराबंदी किया गया। नया बस स्टैण्ड में आरोपी हीरा पटेल मिला जिसे पकड़कर थाना लाया गया तथा घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथियों प्रदीप, शब्बीर व ॠषि के साथ मिलकर कुसमुण्डा खदान के 240 डम्फर पार्किंग में खड़ी डम्फर से 8 नग पीला जरीकेन 35-35 लीटर वाले में भरा डीजल कीमती 25760 रूपये तथा 7 नग नीला खाली जरीकेन को अपने पुरानी बिना नंबर के सुमो वाहन कीमती 70000 रूपये में भरकर ले जाना बताया है। जुमला कीमती 95760 रूपये है। आरोपी का कृत्य अपराध का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुसमुण्डा निरीक्षक लीलाधर राठौर, प्रधान आरक्षक खगेश राठौर, आकाश सिंह, आरक्षक श्याम गबेल, संजय सिंह, शीतल राज, महेन्द्र चंद्रा, खगेश्वर साहू, दुष्यंत कंवर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480